आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: nssccеraj@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ.8(5)उपभोक्ता/एन.एस.एस/आकाशि/2022/ 680 दिनांकः 16 अगस्त, 2022

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :– महाविद्यालय उपभोक्ता क्लब पुनः सक्रिय किये जाने एवं नोडल अधिकारी नियुक्त करने बाबत।
सन्दर्भ :– शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमांक प.89(91)उमावि/उपभोक्ता क्लब/2017 जयपुर दिनांक 13.07.2022.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने एवं शोषण से बचाने के लिए वर्ष 2017 में प्रदेश की श्रेष्ठ 33 राजकीय महाविद्यालयों को चिन्हित कर नवाचार कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2017 के बाद यह कार्यक्रम शिथिल हो जाने के कारण विभाग ने अपने उपरोक्त वर्णित पत्र (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा उपभोक्ता क्लब को पुनः सक्रिय करने एवं 33 के स्थान पर श्रेष्ठ 100 महाविद्यालयों को चिन्हित कर उनमें नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनकी सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रदेश की श्रेष्ठ 100 महाविद्यालयों का चयन कर उपभोक्ता मामले से सम्बन्धी नवाचार कार्यक्रम शुरू किया जाना है जिसकी सूची निम्नानुसार है–

1. सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
2. श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ
3. सनातम धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर
4. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद.
5. राजकीय महाविद्यालय, केकडी
6. गौरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर
7. राजर्षि महाविद्यालय, अलवर
8. बाबू शोभा राम राजकीय आर्ट्स महाविद्यालय, अलवर
9. धर्मचन्द गॉधी जैन राजकीय महाविद्यालय, बहरोड
10. राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी
11. राजकीय महाविद्यालय, राजगढ
12. श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा
13. स्व. मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ
14. हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाडा
15. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारां
16. राजकीय महाविद्यालय, बारां
17. मुलतानमल भीखमचन्द छाजेड राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, बाडमेर
18. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाडमेर
19. मूलचन्द भगवानदास रंगवाला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोतरा
20. रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर
21. महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर
22. राजकीय महाविद्यालय, बयाना
23. मास्टर आदित्येन्द्र जी राजकीय महाविद्यालय, डीग
24. सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय महाविद्यालय, भीलवाडा
25. श्री माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाडा
26. श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाडा)।
27. राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
28. राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
29. मांगीलाल बागडी राजकीय महाविद्यालय, नोखा
30. राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
31. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बूंदी
32. राजकीय कन्या महाविद्यालय, चित्तौडगढ
33. महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौडगढ
34. श्री सांवलिया जी राजकीय महाविद्यालय, मण्डफिया
35. डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेडा
36. सेठ मोहनलाल जालान राजकीय महाविद्यालय, रतनगढ
37. राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू
38. सेठ बुद्धमल दूग्गड राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर
39. ज्ञानीराम हरखचन्द सरावगी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुजानगढ
40. श्री संत सुन्दरदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा
41. स्व. श्री राजेश पायलेट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांदीकुई

49. श्रीमती पानादेवी मोरीजावाला राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली
50. बाबा गंगादास राजकीय कन्या महाविद्यालय, शाहपुरा
51. बाबा भगवानदास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा
52. सेठ आर.एल. सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा
53. लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली
54. शाकम्भर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभरलेक
55. राजस्थान स्कूल ऑफ ऑर्ट्स, जयपुर
56. राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर
57. स्व. श्री मिश्रीलाल सांवल राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर
58. राजकीय महाविद्यालय, पोकरण
59. श्री राजेन्द्र सूरी कुन्दन जैन राजकीय महाविद्यालय, जालौर
60. जी.के. गोवाणी राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल
61. वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर
62. राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड
63. राजकीय बिडला महाविद्यालय, भवानीमण्डी
64. राजकीय महाविद्यालय, झालावाड
65. सेठ नेतराम मघराज टीबडेवाला राजकीय महिला महाविद्यालय, झुझुनूं
66. श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय, झुझुनूं
67. स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय, खेतडी
68. श्रीमती सीतादेवी चुन्नीलाल बरडिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपाडशहर
69. जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फलौदी
70. राजकीय महाविद्यालय, करौली
71. राजकीय महाविद्यालय, हिण्डोनसिटी
72. जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा
73. राजकीय महाविद्यालय, कोटा
74. राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा
75. राजकीय बांगड महाविद्यालय, डीडवाना
76. श्री बलदेव राम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर
77. श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली
78. राजकीय बांगड महाविद्यालय, पाली
79. राजकीय महाविद्यालय, धरियावाद
80. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ
81. राजकीय कन्या महाविद्याल, नाथद्वारा
82. सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा
83. सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द
84. राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर
85. राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी
86. शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर
87. चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
88. डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
89. स्व. श्री गुरूशरण छाबडा राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ
90. सेठ नन्द किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना
91. सेठ आर.एन. रूईया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ शेखावाटी
92. राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिरोही
93. सेठ मंगल चन्द चौधरी राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड
94. राजकीय महाविद्यालय, सिरोही
95. राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
96. राजकीय महाविद्यालय, टोंक
97. राजकीय महाविद्यालय, देवली
98. राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा
99. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
100. हाडा रानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सलूम्बर

अतः सम्बन्धित प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता मामले से सम्बन्धी नवाचार कार्यक्रम शुरू करने हेतु आपके महाविद्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचना सीधे ही उपभोक्ता मामले विभाग की ई–मेल आईडी पर सूचित करते हुए राष्ट्रीय समन्वयक अधिकारी, आयुक्तालय की ई–मेल आईडी nsscceraj@gmail.com पर दिनांक 22.08.2022 तक सूचित करने का श्रम करावें। **कृपया इस कार्य को प्राथमिकता देवें।**

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
16.8.22
(डॉ. शैला महान)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि –
समस्त सम्बन्धित उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र क्रमांक प.89(91)उमावि/उपभोक्ता क्लब/2013 जयपुर दिनांक

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

(राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नं0 1800–180–6030 वाट्सएप 72300–86030)

क्रमांक .एफ. 89(91)उमावि/उपभोक्ता क्लब/2017 जयपुर, दिनांक 13.07.2022

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

विषयः– महाविद्यालय उपभोक्ता क्लब पुनः सक्रिय किये जाने एवं महाविद्यालय उपभोक्ता क्लब नोडल अधिकारियों के सूची के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के क्रम में विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के हनन के प्रति जागरूक करने एवं शोषण से बचाने के लिए कृत संकल्प है।

उपभोक्ता हित में किए जा रहे नवाचारों के क्रम में चिन्हित महाविद्यालय उपभोक्ता क्लबों को पुनः सक्रिय किया जाना है।

उक्त कार्य हेतु महाविद्यालय उपभोक्ता क्लब नोडल अधिकारियों के सूची की आवश्यकता है ताकि कार्ययोजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रेषित की जा सके। कृपया उपभोक्ता हित में राज्य के चिन्हित श्रेष्ठ 100 महाविद्यालय मे उपभोक्ता क्लब के नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनकी सूची प्रेषित करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए.वी. पेड़णेकर)
शासन सचिव (उ0मा0)

आरटीडीसी (मुख्यालय), प्रथम तल, होटल स्वागतम् परिसर, रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर, राजस्थान
वेबसाइट : consumeraffairs.raj.nic.in ई–मेल आई.डी. : ddca72@gmail.com दूरभाष नं. : 0141–2209756

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

महाविद्यालय उपभोक्ता क्लबों हेतु निर्देशिका

1. **"उपभोक्ता क्लब" का तात्पर्य**

"उपभोक्ता क्लब" योजना के अन्तर्गत चयनित महाविद्यालय के विद्यार्थियों का एक ऐसा समूह होगा जो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में रूचि रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण के बारे में वांछित जानकारी प्राप्त करेगा तथा विद्यार्थियों का यह समूह उपभोक्ता संरक्षण विषयक गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेगा तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसम्बर) एवं विश्व उपभोक्ता दिवस (15 मार्च) जैसे अवसरों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर उपभोक्ता शिक्षा का व्यापक प्रचार करेंगे।

2. **उपभोक्ता क्लब का गठन**

इस योजना के अन्तर्गत चयनित महाविद्यालयों में एक उपभोक्ता क्लब का गठन किया जायेगा। एक क्लब में कम से कम 75 सदस्य होंगे, किन्तु क्लब के अधिकतम सदस्यों की संख्या को सीमित नही किया गया है। क्लब के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति रूचि समर्पण एवं पर्याप्त समय दे सकने की इच्छा के मानदण्डों का ध्यान रखा जावेगा।

3. क्लब की गतिविधियॉं नियमित संचालन किये जाने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक प्राध्यापक को क्लब का समन्वयक नियुक्त किया जावेगा तथा समन्वय द्वारा एक छात्र को क्लब का प्रभारी नियुक्त किया जायेगा।
4. प्रत्येक माह क्लब की एक बैठक आवश्यक रूप से की जायेगी, जिसकी सूचना प्रचलित तरीके व नोटिस बोर्ड पर दी जायेगी।
5. क्लब के लिए 02 मीटर का फ्लैक्स अथवा बैनर बनाया जायेगा, जिसमें कॉलेज शिक्षा से संबंधित एवं उपभोक्ता मामले विभाग का लोगो को अंकित किया जावेगा। लोगो की डिजाईन उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइड consumeraffairs.raj.nic.in से ली जा सकती है।
6. क्लब की बैठकों का कार्यवाही विवरण एवं उपस्थिति सूचना हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा।
7. क्लब की बैठक में स्थानीय गण मान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, उपभोक्ताविदों को गेस्ट स्पीकर/विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।
8. उपभोक्ता क्लब के सदस्यों के दायित्व निम्न प्रकार होंगे:–
   - क्लब के उपभोक्त संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेना।
   - क्लब में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित प्राप्त जानकारी को अपने साथी विद्यार्थियों को देना।
   - समाज में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जानकारी को प्रसारित करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को उपभोक्ता अधिकारों एवं उपभोक्ता न्यायिक प्रकिया से अवगत कराना।

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

- उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम; यथा, निबंध, भाषण, वाद–विवाद, प्रदर्शनी, स्लोगन, उपभोक्ता जागरूकता रैली एवं रेखाचित्र बनाना आदि कार्यक्रमों का आयोजन एवं सहभागिता।
- प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसम्बर) एवं विश्व उपभोक्ता दिवस (15 मार्च,) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना।
- भविष्य में इन क्लबों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना तैयार करना।

9. मॉनिटरिंग

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी/जिला रसद अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक संबंधित क्षेत्र में भ्रमण के दौरान क्लबों के समन्वयक एवं प्रभारी से सम्पर्क कर गतिविधियों की जानकारी लेंगे।

10. कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा क्लब समन्वयक एवं प्रभारी छात्र का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराया जायेगा। मुद्रित सामग्री एवं अन्य आवश्यक व्यय का वहन राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष द्वारा वहन किया जायेगा।

11. उपभोक्ता क्लब योजना के लिए वित्तीय प्रबंध एवं अंकेक्षण

प्रत्येक क्लब के लिए राज्य सरकार द्वारा 20,000 रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। क्लब में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर भी देय सहायता राशि में वृद्धि नहीं की जायेगी। इस राशि का मदवार व्यय विवरण निम्न प्रकार रहेगा:–

क सं	विषय वस्तु	राशि
1	प्रशिक्षण व प्रचार–प्रसार सामग्री पर	4000/–
2	उपभोक्ता क्लब की प्रति बैठक रू. 200 की दर से क्लब के समन्वयक संस्था प्रधान को अधिकतम 10 बैठकों का मानदेय	2000/–
3	वर्ष में दो बार जिला स्तरीय गतिविधियों के लिए	2000/–
4	प्रति बैठक उपभोक्ता के सदस्य छात्रों के लिए Refreshment हेतु	3500/–
5	स्टेशनरी हेतु	2000/–
6	गेस्ट स्पीकर हेतु प्रति सत्र रूपये 200/– की दर से	2000/–
7	बैनर हेतु (सिर्फ प्रथम वर्ष के दौरान)	500/–
8	प्रशासनिक व्यय हेतु	4000/–
	योग	20000/–

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

12. संलग्न कलेण्डर के अनुसार न्यूनतम 10 बैठकें आयोजित की जायेंगी।
13. उपभोक्ता क्लबों का मासिक सूचना पत्र विभाग की मेल आईडी ddca72@gmail.com पर भिजवाते हुए उसकी एक प्रति संबंधित संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी।
14. क्लबों को यह वित्तीय सहायता एक बारीय है। कालान्तर में इन क्लबों को आत्मनिर्भर महाविद्यालय के स्तर पर बनाये जाने का प्रयास किया जावेगा। वार्षिक गतिविधियों का ब्यौरा विवरण मय फोटोग्राफ उपभोक्ता मामले विभाग को प्रेषित किया जावेगा।
15. राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा आयोजित उपभोक्ता विषयक कार्यो में सम्मिलित होंगे।

संजय डाला
उप निदेशक
उपभोक्ता मामले विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

महाविद्यालयों में स्थापित उपभोक्ता क्लबों की निर्धारित वार्षिक गतिविधियाँ

क्र सं	विषय
1	उपभोक्ता संरक्षण का स्वरूप • उपभोक्ता कौन? • उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। • उपभोक्ता आन्दोलन का उद्भाव एवं विकास (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर) • भारत में उपभोक्ता आन्दोलन की विकास यात्रा।
2	उपभोक्ता अधिकार एवं कर्तव्य
3	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 • उपभोक्ता आदालतों का परिचय। • शिकायत प्रस्तु करने की प्रकिया। • उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की जानकारी।
4	स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन • गठन की प्रकिया एवं कार्य प्रणाली। • उपभोक्ता संगठनों एवं सरकारी विभागों में समन्वय। • सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के कियान्वयन में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भूमिका। • प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय उपभोक्ता संगठनों का परिचय।
5	उपभोक्ता वस्तुओं में गुणवत्ता एवं मानकीयकरण की जानकारी • उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता एवं मानक निर्धारित करने वाले सरकारी विभाग एवं उनके दायित्व। • गुणवत्ता एवं मानकीय पहचान के तरीके।
6	कार्यशाला, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यकम, निबंध, भाषण, वाद–विवाद, स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यकम
7	विषय विज्ञ का उद्बोधन
8	जिले के किसी उपभोक्ता विषयक विभाग की कार्य प्रणाली की जानकारी।
9	क्लब सदस्यों का भ्रमण
10	उपभोक्ता विषयक मेलों/उत्सव/ प्रदर्शनियों का आयोजन
11	स्थानीय प्रतिष्ठित मेलों में उपभोक्ता सामग्री का वितरण एवं प्रचार–प्रसार

संबंधित संस्था प्रधान उपर्युक्त विषयों के आधार पर तिथिवार कार्यकम का कलेण्डर जारी करेंगे।

उपभोक्ता मामले विभाग, आर.टी.डी.सी. मुख्यालय का प्रथम तल (होटल स्वागतम् परिसर), जयपुर, राजस्थान।
वेबसाइट: consumeraffairs.raj.nic.in ई-मेल आई डी ddca72@gmail.com दूरभाष-0141-2208758

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता क्लबों का मासिक सूचना पत्रक

जिला.....

विवरण माह ..... महाविद्यालय.....

1	क्लब समन्वयक (प्राध्यापक/प्रोफेसर का नाम, मोबाइल)	
2	क्लब प्रभारी (क्लब समन्वयक द्वारा मनोनीत छात्र का नाम, मोबाइल)	
3	उपभोक्ता क्लब के सदस्यों की कुल संख्या	
4	माह में कितनी गतिविधियाँ/बैठक आयोजित गई (विवरण संलग्न करें)	
5	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या/छात्र सदस्यों की संख्या।	
6	विषय विशेषज्ञों का नाम व उद्बोधन विवरण दें।	
7	आमंत्रित जन प्रतिनिधियों की संख्या व उनके पद नाम।	
8	जन साधारण एवं उसमें महिलाओं की भागीदारी।	
9	माह में आयोजित संगोष्ठी/रैली/अन्य प्रतियोगिताओं का विवरण।	
10	माह की उल्लेखनीय गतिविधियाँ।	
11	मुद्रित सामग्री यदि वितरित की गई हो तो संलग्न करें।	
12	क्या गतिविधियों को स्थानीय मीडिया में प्रचारित-प्रसारित किया गया (यदि हां, तो पेपर कटिंग/विज्ञप्ति आदि संलग्न करें)	
13	क्लबों की सक्रियता के लिये किये गये अन्य प्रयास। (विवरण दें)	

प्राचार्य की टिप्पणी:-.....

.....

हस्ताक्षर
(प्राचार्य/समन्वयक)
राजकीय महाविद्यालय